

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

एषिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का प्रधानमंत्री मा० श्री नरेन्द्र जी मोदी आज करेंगे लोकार्पण

गुलाब चक्कर में प्रातः 11:00 बजे होगा लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

रतलाम 18 फरवरी । इंदौर में 550 मीट्रिक टन क्षमता के गोबरधन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र जी मोदी द्वारा आज 19 फरवरी शनिवार को इंदौर से दोपहर 01:00 बजे किया जायेगा।

गीले कचरे का प्रसंस्करण कर सीएनजी बनाने वाले एषिया के के सबसे बड़े प्लांटस के लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण गुलाब चक्कर में में एलईडी के माध्यम से किया जायेगा। गुलाब चक्कर में आयोजित कार्यक्रम में प्रातः 11:00 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमए स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमए स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकए स्वयं सेवी संस्थाएँ सफाई मित्र आदि का सम्मान एवं पुरस्कृत किया जायेगा जिसमें जनप्रतिनिधिए गणमान्य नागरिकए नागरिकए अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।

लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट लिंक ीजजचरूधधचउपदकपंूमइबंेजणदपबण्णपद के अलावा फेसबुकए ट्विटरए यूट्यूब लिंक के माध्यम से किया जायेगा जिसे नागरिक अपने मोबाईलए कम्प्यूटरए टेलीविजन के माध्यम से देख सकते है।

स्वच्छ सर्वेक्षण.2022 के कार्यों की निगम आयुक्त श्री झारिया ने की समीक्षा

रतलाम 18 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में उच्चतम् अंक प्राप्त हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम द्वारा नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की 8 फरवरी को ली गई बैठक में दिये

गये निर्देशों के तहत अब तक किये गये कार्यों की समीक्षा निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने की।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि ऐसे क्षेत्र जहां यूरिनल की आवश्यकता है वहां पर अस्थायी यूरिनल लगाये जाये। शहर में यदि खुले में यूरिन व शौच करते पाये जाने पर संबंधित झोन प्रभारी व दरोगा पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि नगर के 100 प्रतिशत घरोए दुकानों से सेग्रीगेटेड कचरा संग्रहण किया जाये यदि किसी भी वार्ड में कचरा स्थल है तो उसे पूरी तरह से समाप्त कर दें अन्यथा संबंधित झोन प्रभारी व दरोगा पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने उपयंत्रियों को निर्देशित किया कि नगर के प्रत्येक वार्डों में सौन्दर्यीकरण के स्थल की सूची शीघ्र उपलब्ध कराई जाये ताकि सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रारंभ किया जा सकें।

बैठक में उन्होंने कहा कि नागरिकों को गीले कचरे से खाद बनाने की प्रेरणा देने के लिये सबसे पहले हमे अपने घरों में होम कम्पोस्टिंग प्रारंभ करना होगी ताकि इससे प्रेरित होकर वे भी होम कम्पोस्टिंग प्रारंभ करें व गीले कचरे का निशपादन उत्सर्जन स्थल पर ही हो जाये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षक प्रातः व दोपहर उपस्थित अनिवार्य रूप से चेक करें यदि कोई कर्मचारी प्रातः उपस्थित रहता है व दोपहर में बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो ऐसे कर्मचारियों की पुरे दिवस की अनुपस्थिति दर्ज की जाये। सार्वजनिक व सुलभ शौचालयए मुत्रालय की दोनो समय सफाई हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाये जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये ।

आयोजित बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ़ बेखए प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए सहायक यंत्री श्री प्याम सोनीए श्री एमण्केण जैनए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंहए निज सहायक श्री सुभाश गोयलए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडितए ब्रजेश कुषवाहए मनीश तिवारीए सुश्री दीक्षा निजामपुरकर सहित झोन प्रभारीए नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

जैन पैकेजिंग से अमानक स्तर की 8 किलो पॉलीथीन जब्त

2000 का किया जुर्माना

75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 18 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकॉलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टैपए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्स व 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूशन नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

अभियान के तहत जैन पैकेजिंग मटेरियल कल्याण नगर से तय मानक के विपरित 8 किलो पॉलीथीन को जब्त कर संबंधित पर 2000 की राशि का जुर्माना स्पॉट फाईन दल द्वारा किया गया।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें।

उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही रतलाम 18 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000₹. एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500₹. प्रति श्वान

तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100६ रूपये जमा कराना होगा। प्वान पालकों को अधिकतम् 2 प्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी। नगर निगम द्वारा प्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने प्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

खुले में गंदगी करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 18 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 18 फरवरी को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी करने पर रोहित राठौर बाजना बस स्टैण्ड पर 500ए कन्हैयाए अजय प्रजापतए ईश्वरए ब्रजेश राम मंदिर पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

8 सफाई मित्रों का 1 दिवस व 3 का आधे दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 18 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 8 व दोपहर में 3 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन

काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

18 फरवरी शुक्रवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में शांतिबाई पति सुरेश झोन क्रमांक 2 में मंजूबाई पति राधाकिशन सरवन.प्रकाश शकुन्तलाबाई पति अर्जून बबीताबाई पति संतोश प्यामाबाई पति ओमप्रकाश झोन क्रमांक 3 में प्रमोद.जगदीश झोन क्रमांक 4 में आनन्द.भागीरथ इस तरह 8 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 1 में शांतिलाल.बाबुलाल पप्पूरमेश झोन क्रमांक 2 में सोमदीप.सुदेश इस तरह 3 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के विभिन्न करों से 13⁷⁴ लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 18 फरवरी । संपत्तिकर जलकर लायसेंस राजस्व विकास शाखा बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 18 फरवरी शुक्रवार को कुल राशि रूपये 13⁷⁴792⁶ का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 18 फरवरी शुक्रवार को संपत्तिकर शिविर से 170437⁸ कार्यालय 362478⁸ वसूली दल 428277 कुल 961192⁸ जलकर शिविर 36470⁸

कार्यालय 14150ए वसूली दल 78130 कुल 128750ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 10627 व वसूली दल 73166 कुल 83793ए लीजरेंट 156506ए कम्पाउडिंग 42416ए स्पॉट फाईन 2135 इस तरह कुल राशि रूपये 13ए74ए792६ का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

चौमुखी पुल पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 79७09 लाख व जलकर 19७36 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 18 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822६ व जलकर 54ए850६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575६ व जलकर 34ए520६ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013६ व जलकर 63ए450६ए विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292६ व जलकर 1ए19ए720६ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857६ व जलकर 62ए950६ए तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977६ व जलकर 28ए870६ए कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000६ व जलकर 14ए000६ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600६ व जलकर 1ए04ए640६ए कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206६ व जलकर 1ए21ए090६ए प्रियदर्शनी नगर शिविर में

संपत्तिकर 2ए14ए000६ व जलकर 47ए000६ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422६ व जलकर 83ए700६ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500६ व जलकर 27ए540६ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281६ व जलकर 40ए240६ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000६ व जलकर 31ए760६ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077६ व जलकर 72ए440६ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534६ व जलकर 37ए465६ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732६ व जलकर 36ए660६ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455६ व जलकर 92ए125६ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298६ व जलकर 64ए770६ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241६ व जलकर 28ए140६ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920६ व जलकर 1ए56ए600६ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338६ व जलकर 1ए67ए280६ए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541६ व जलकर 76ए625६ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807६ व जलकर 37ए520६ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए91ए836६ व जलकर 72ए860६ए महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए741६ व जलकर 37ए140६ पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 2ए81ए036६ व जलकर 89ए570६ए चौगानिया भैरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 91ए157६ व जलकर 46ए510६ए सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए036६ व जलकर 1ए05ए060६ए चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर 2ए86ए771६ व जलकर 80ए460६ की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

18 फरवरी को 86 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 17 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 18 फरवरी शुक्रवार को 91 टन कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

18 फरवरी शुक्रवार को डम्पर से 40775ए टे^अ कटर से 15300ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 16765ए काम्पेक्टर गीला कचरा 15615ए मैजिक सूखा 2000 व मैजिक गीला 1355 किलो इस तरह कुल 91810 किलो कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

28 फरवरी तक प्रषमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 18 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक

हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ,कम्पाउडिंग 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 18 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 205० हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 18 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 18 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोंए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल

डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कें गली सार्वजनिक स्थल नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी कचरे के ढेर नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारजसंविधेमन्तध18ण02ण2022धनणपाणनिगमए रतलामण